निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 26/2021
दायरा दिनांकः–28.06.2021
निर्णय दिनांकः–26.6.24

उनवान

रामकिशन आयु 60 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. जमना बाई पत्नि स्व0 बृजलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
2. मथुरालाल पुत्र स्व0 बृजलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः–26.6.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश सोनी – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा में कृषि आराजियात खाता संख्या 60 की खसरा नम्बर 254 रकवा 01 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 396 रकबा 03 बिस्वा कुल दो किता रकवा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमियात स्थित है। जो अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है। उक्त भूमियात प्रार्थी के नाना ग्यारसीराम के कब्जे व खातेदारी की थी जिसमें प्रार्थी के पिता बृजलाल को अपने पास घर जंवाई के रूप में रखा था और समस्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 का जन्म भी नाना के पास हुआ था। उक्त भूमियात प्रार्थी की पैत्रिक आराजियात है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है। उक्त भूमियात में भूमि खसरा नम्बर 254 रकवा 01 बीघा 07 बिस्वा गांव के पास स्थित है। उक्त भूमियात में प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 के मकान बने हुए है उक्त भूमियात को 1/2 हिस्से के रूप में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 ने बांट रखी है उक्त भूमियात अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में होने से अप्रार्थी क्रम 2 व अप्रार्थी क्रम 1 एक साथ निवास करतें है। जिसका लाभ उठाकर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 उक्त भूमियात को अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। जबकि उक्त भूमियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है [illegible] प्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा प्रार्थी एवं प्रार्थी के बाल बच्चे [illegible] क्रम 1 व 2 ने उक्त भूमियात को दीगर व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित कर बेचान कर [illegible] तो प्रार्थी अपने बने हुए मकान व अपने हिस्से 1/2 से महरूम हो[illegible] अनावश्यक वाद–विवादो में उलझकर समय व धन से बर्बाद होना पडेगा। उक्त भूमियात अप्रार्थी क्रम 1 की स्वअर्जित भूमियात नही है अपितु नाना से प्राप्त हुई भूमियात है जो पैत्रिक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है प्रार्थी अपने हिस्से की सीमा तक खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसका जन्म से ही उक्त भूमियात में हक व अधिकार निहित है। उक्त भूमियात को अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द करना चाहतें है इसलिए अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उक्त भूमियात को अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द ना कर सके और प्रार्थी के हिस्से को हस्तांतरित ना कर सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हान्याहेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 60 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्राथी सुनी गई। बहस के दौरन वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा में स्थित है जो अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी प्रार्थी नाना/नानी ग्यारसीराम के कब्जे व खातेदारी की थी जिसने प्रार्थी के पिता बृजलाल को अपने पास घर जमाई के रूप में रखा था तथा प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 का जन्म नामा के पास हुआ। उक्त भूमि प्रार्थी की पैत्रक है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है खसरा नम्बर 254 में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 के मकान बने हुए है तथा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा आधी–आधी बाट रखी है उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में होने के कारण अप्रार्थी भूमि को बेचान करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है यदि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थी अपने बने मकान व अपने हिस्से से महरूम हो जायेगा जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी का रहन बेचान न करे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हान्याहेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 60 जमना बाई पत्नि स्व0 बृजलाल जाति लोधा का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी की है प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 जमना बाई के पुत्र है जमना बाई के पति का स्वर्गवास हो गया है विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्स निहित हे प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी हे विवादित आराजी प्रार्थी की माता अप्रार्थी क्रम 2 जमना बाई के खातेदारी में है यदि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णयात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 254

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रकबा 1बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 396 रकबा 0.03 बिस्वा कुल किता रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested